FORM NO III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी अंराई मुकाम अराईं (अजमेर)

- कालू पुत्र नाथू जाति रेगर उम्र 72 साल निवासी ग्राम अराई तहसील अराई जिला अजमेर राज0 –वादी

बनाम

- नानू पुत्र छोगा जाति रेगर निवासी ग्राम अराई तहसील अराई जिला अजमेर राज0 व अन्य –प्रतिवादीगण।

किस्म मुकदमा– धारा 131 व 136, 188,209, राज0 का0 अधि0 1955

नंबर 47/2025

ऑनलाइन नंबर 2025/...98..

वकील वादीः– योगेश शर्मा वकील प्रतिवादीगण........

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
30/7/25	यह दावा पत्र वादी की ओर से वकील वादी योगेश शर्मा ने अन्तर्गत धारा 188,209 व 131,136 राज.का. अधि. 1955 के तहत पेश किया गया। दावा पत्र पर वकील वादी को सुना गया तथा पेश दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जावे तथा प्रतिवादीगणों की तलबी जरिये सम्मन की जाकर पत्रावली दिनांक 6/8/2025 को पेश हो। WB उपखण्ड अधिकारी अरांई	
6.8.25	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप०। तामिली रिपोर्ट प्राप्त हुई। वास्ते जवाब हेतु पत्रावली दिनांक 10/9/25 को पेश हो। WB	तामिली प्राप्त
10/9/25	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप०। वास्ते जवाब हेतु दिनांक 17/9/25 को पेश हो। WB	
17/9/25	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप०। वास्ते जवाब हेतु दिनांक 24/9/25 को पेश हो। WB	

1/2026.

पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान नहीं।
बहस सुनी गई। पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों
का अवलोकन किया गया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र
स्वीकार किया जाता है। पत्रावली में निर्णय पृथक
से तैयार कर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली
फैसलशुदा होकर दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय उपखंड अधिकारी अराई अजमेर

राजस्व वाद संख्या 89/2024

अन्तर्गत धारा 131,136 भू–राजस्व अधि0 1956

कालू पुत्र नाथू जाति रेगर, उम्र लगभग 72 वर्ष, निवासी ग्राम अरांई, तहसील अरांई, जिला अजमेर, राजस्थान

–प्रार्थी

बनाम

1. नानू पुत्र छोगा, जाति रेगर निवासी ग्राम अरांई, तहसील अरांई, जिला अजमेर, राजस्थान
2. प्रेम देवी पत्नि घीसागिरी, जाति गोसाई (गुशाई) निवासी ग्राम अरांई, तहसील अरांई, जिला अजमेर, राजस्थान
3. प्रेमराज पुत्र धन्ना जाति रेगर निवासी ग्राम अरांई, तहसील अरांई, जिला अजमेर राजस्थान
4. मदन पुत्र छोगा, जाति रेगर, निवासी ग्राम अरांई, तहसील अरांई, जिला अजमेर, राजस्थान
5. रतन लाल पुत्र छोगा जाति रेगर निवासी ग्राम अरांई, तहसील अरांई, जिला अजमेर, राजस्थान
6. हरिनारायण पुत्र धन्ना जाति रेगर निवासी ग्राम अरांई, तहसील अरांई, जिला अजमेर, राजस्थान
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, अरांई, जिला अजमेर, राज.
8. शाखा प्रबन्धक बैंक ऑफ बडौदा शाखा अरांई, तहसील अरांई जिला अजमेर राजस्थान

अप्रार्थीगण

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत अन्तर्गत धारा 131,136 भू–राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय दिनांक 2/1/26

संक्षिप्त में वाद पत्र का सार इस प्रकार है कि वादी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 भू.राज.अधि. 1956 के तहत वकील श्री योगेश शर्मा एडवोकेट ने पेश किया जिसमें प्रार्थी अधिवक्ता ने जाहिर किया कि प्रार्थी द्वारा राजस्व ग्राम अरांई पटवार हल्का अरांई भू–अभि.नि. क्षेत्र अरांई तहसील अरांई जिला अजमेर राजस्थान के खाता संख्या नया 566 व पुराना 542 के खसरा संख्या 2027 रकबा 1.3834 हैक्टेयर प्रार्थी के पिता द्वारा दिनांक 21.06.1971 को मोडू पुत्र नन्दराम जाति डाकोत निवासी ग्राम अरांई तहसील अरांई से कय कर विक्रय पत्र उप पंजीयक कार्यलय किशनगढ में निष्पादित किया गया था, उस समय प्रार्थी की आयु नाबालिग थी तथा उस समय प्रार्थी को अपने वर्तमान नाम के साथ–साथ श्योचन्द नाम से भी जाना व समबोधित किया जाता था उक्त खातेदारी भूमि प्रार्थी की एक मात्र खातेदारी भूमि है। प्रार्थी का आधार कार्ड पहचान पत्र, बैंक पास बुक, पैन कार्ड, जाति प्रमाण–पत्र आदि समस्त दस्तावेजों में कालू पुत्र नाथू नाम ही अंकित है, जबकि उक्त विक्रय पत्र में प्रार्थी नाबालिग होने के कारण प्रार्थी का बोलता नाम ही विकय पत्र में अंकित हो गया, जिस कारण प्रार्थी को समी सरकार एवं गैर सरकारी योजनाओं से वचिंत होना पड रहा है। तथा वर्तमान में प्रार्थी सीनियर सिटिजन की श्रेणी में आता है तथा प्रार्थी के जीवन का वद्ध होने के कारण कोई भरोसा नहीं है इस कारण प्रार्थी जिन्दा रहेते हुवे उक्त जमाबन्दी में अपने नाम की शुद्धि की घोषणा माननीय न्यायालय से करवाना चाहता है जिसे प्रार्थी की पत्नि एवं प्रार्थी की वारिसान को किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पडे, इस कारण श्रीमान के समक्ष उक्त प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करना आवश्यक हुआ।वाद कारण प्रार्थी द्वारा अपने दस्तावेज / विक्रय पत्र मिलने पर जानकारी हुई की प्रार्थी का नाम विकय पत्र में श्योचन्द दर्ज होने से राजस्व रिकार्ड कि जमाबन्दी में भी श्योचन्द दर्ज हो गया जबकि प्रार्थी का सही नाम कालू है इस कारण वाद कारण जमाबन्दी की नकल प्राप्त होने से तथा प्रार्थी द्वारा नकल लेने पर गलत इन्द्राज की जानकारी प्रार्थी को होने पर उत्पन्न हुआ जो गलत इन्द्राज राजस्व रिकार्ड में दर्ज रहने से वाद कारण सतत् रूप से निरन्तर जारी है। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 को उपरोक्त कृषि भूमि में सहखातेदार होने से तथा अप्रार्थी संख्या 7 को लैण्ड होल्डर होने के कारण एवं अप्रार्थी संख्या 8 के यहाँ अप्रार्थी संख्या 2 की कृषि भूमि रहन होने के कारण मुकदमे में पक्षकार बनाया गया है। उपरोक्त कृषि भूमि ग्राम अरांई, पटवार क्षेत्र अरांई, भू.अ.नि.क्षे. अरांई तहसील अरांई, जिला अजमेर, राजस्थान में माननीय न्यायालय

w

के क्षेत्राधिकार में स्थित होने से इस प्रार्थना पत्र को सुनने का श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है। वकील प्रार्थी ने निवेदन किया है कि पैरा संख्या 1 में वर्णित ग्राम अरांई के खाता संख्या नया 566 के खसरा संख्या 2027 की कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम "श्योचन्द पुत्र नाथू के स्थान पर कालू पुत्र नाथू के नाम की शुद्धि की घोषणा किये जाने के आदेश न्याय हित में पारित किये जाने कि कृपा करे।

प्रकरण दिनांक 30.7.2025 को दर्ज रजिस्टर किया गया । अप्रार्थीगण के सम्मन नोटिस दिनांक 6.8.2025को प्राप्त हुए तथा दिनांक 3.11.2025 को अप्रार्थीगण 1 लगायत 8 का जवाब बन्द किया गया । पेरोकार सरकार के जवाब अनुसार प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में ग्राम अरांई के वर्तमान खसरा नं. 2027 रकबा 1'3834 है. जिसमें नानू रेगर पुत्र छोगा रेगर 1/12 हिस्सा, प्रेम देवी पत्नी घीसागिरी हि. 1/4 गोसाई, प्रेमराज पुत्र धन्ना हि. 1/8 रेगर, मदन पुत्र छोगा हि. 1/12 रेगर, रतनलाल रगर पुत्र छोगालाल हि. 1/12 रेगर, श्योचन्द पुत्र नाथू हि. 1/4 रेगर, हरिनारायण पुत्र धन्ना हि. 1/8 जाति रेगर सा. देह खातेदार दर्ज है। तथा पत्रावली में कार्यालय ग्राम पंचायत अराई द्वारा जारी प्रमाण पत्र दिनांक 26.7.2025 द्वारा यह प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है कि श्योचन्द्र व कालू दोनो नाम एक ही व्यक्ति के है । तथा प्रार्थी ने आयकर विभाग द्वारा जारी पेनकार्ड संख्या **LQRPK0681B** बतौर साक्ष्य प्रस्तुत किया जिसमें प्रार्थी का सही नाम कालू पुत्र नाथू अंकित है । ।

तहसीलदार अराई की जांच रिपोर्ट अनुसार पेरोकार जवाब अनुसार प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में ग्राम अरांई के वर्तमान खसरा नं. 2027 रकबा 1.3834 है. जिसमें नानू रेगर पुत्र छोगा रेगर 1/12 हिस्सा, प्रेम देवी पत्नी घीसागिरी हि. 1/4 गोसाई, प्रेमराज पुत्र धन्ना हि. 1/8 रेगर, मदन पुत्र छोगा हि. 1/12 रेगर, रतनलाल रगर पुत्र छोगालाल हि. 1/12 रेगर, श्योचन्द पुत्र नाथू हि. 1/4 रेगर, हरिनारायण पुत्र धन्ना हि. 1/8 जाति रेगर सा. देह खातेदार दर्ज है। हमारे द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। तहसीलदार अरांई के जवाब तथा पत्रावली में संलग्न दस्तावेजानुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार अरांई को आदेश दिये जातें है कि ग्राम अराई के खाता संख्या नया 566 के खसरा संख्या 2027 की कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम श्योचन्द पुत्र नाथू के स्थान पर कालू पुत्र नाथू के नाम की शुद्धि करने के आदेश दिये जाते है ।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षरों के खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। पत्रावली जाप्ता दफ्तर दाखिल हो।

उपखण्ड अधिकारी
अरांई (अजमेर)